भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

वित्तीय सेवाएं विभाग

राज्य सभा

तारांकित प्रश्न संख्या *76

जिसका उत्तर मंगलवार, 11 फरवरी, 2025/22 माघ, 1946 (शक) को दिया गया

बीमा पालिसी धारकों के निवेश की सुरक्षा करना

*76. डॉ. अजित माधवराव गोपछड़े:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) किसी जीवन बीमा कंपनी के दिवालिया हो जाने की स्थिति में पालिसीधारकों के निवेश की सुरक्षा के लिए मंत्रालय द्वारा सभी संबंधित हितधारकों के साथ मिलकर क्या कार्रवाई की गई है;

(ख) क्या सरकार ने इस मुद्दे से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय विनियमों का आकलन किया है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (आईआरडीए) घरेलू जीवन बीमा फर्मों के कार्यकलापों की निगरानी कर रहा है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) विगत तीन वर्षों के दौरान आईआरडीए द्वारा जीवन बीमा कंपनियों को कितने निर्देश जारी किए गए हैं, इन निर्देशों के जवाब में कंपनियों द्वारा क्या सुधारात्मक उपाय किए गए हैं?

उत्तर

वित्त मंत्री (श्रीमती निर्मला सीतारामन)

(क) से (घ): एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

*****

"बीमा पालिसी धारकों के निवेश की सुरक्षा करना" के संबंध में डॉ. अजित माधवराव गोपछड़े द्वारा पूछे गए दिनांक 11.2.2025 के राज्य सभा तारांकित प्रश्न संख्या *76 के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(क) से (घ): क से घ: उन मामलों में जिनमें जीवन बीमा कंपनी वित्तीय कठिनाइयों अथवा दिवालियापन का सामना कर रही हों, उनमें पॉलिसीधारकों के हितों की रक्षा करने के लिए बीमा अधिनियम, 1938 और इरडाई विनियम में अन्य बातों के साथ-साथ बीमा कंपनी के पॉलिसीधारक और शेयरधारक निधियों को अलग-अलग निर्धारित किया गया है ताकि पॉलिसीधारक की निधियों की आस्तियों को अलग रखा जा सके तथा उन्हें बीमा कंपनी की अन्य सभी आस्तियों से पृथक रखा जा सके। पॉलिसीधारक निधि केवल बीमा संबंधी दायित्वों जैसे दावे का भुगतान, अभ्यर्पण मूल्य, परिपक्वता लाभ तथा बोनस आदि को पूरा करने के लिए होती है।

बीमा अधिनियम, 1938 में यह उपबंध किया गया है कि प्रत्येक बीमाकर्ता और पुनर्बीमाकर्ता हमेशा शोधनक्षमता के नियंत्रित स्तर के उच्चतर शोधनक्षमता मार्जिन को बनाये रखेगें, जो वर्तमान में अपेक्षित शोधनक्षमता मार्जिन का 150 प्रतिशत है। बीमा अधिनियम, 1938 में निवेश मानदण्डों को निर्धारित किया गया है तथा इरडाई विनियम से बीमाकर्ता के निवेश अभिशासित होते हैं जिसका लक्ष्य पॉलिसीधारकों के हितों की रक्षा तथा उसके नकदीकरण को सुनिश्चित करना है। इसमें सरकारी प्रतिभूतियों, अवसंरचना तथा सामाजिक क्षेत्र, कारपोरेट बाण्ड आदि जैसे लिखितों को निर्धारित किया गया है जिनमें बीमाकर्ताओं की आस्तियों का निवेश किया जा सकता है तथा इसमें ऐसे निवेश की सीमा भी निर्धारित है।

इरडाई के विनियम के अनुसार बीमा कंपनियों द्वारा नियमित जोखिम आकलन और लेखापरीक्षा अनुपालन भी किए जाते हैं इरडाई यह भी अपेक्षा करता है कि बीमाकर्ताओं द्वारा विभिन्न तिमाही तथा वार्षिक विवरणियां भी समय-समय पर प्रस्तुत की जाएं। इरडाई द्वारा अधिदेशित सार्वजनिक प्रकटीकरण उपबंधों के माध्यम से पारदर्शिता सुनिश्चित की जाती है। इसके अलावा, इरडाई द्वारा पर्यवेक्षीय अवलोकन जैसे शोधनक्षमता अनुपात, अभिशासन पद्धतियों तथा वित्तीय स्थिति का निरीक्षण करने के लिए ऑफसाइट तथा ऑनसाइट निरीक्षण करके बीमाकर्ता की नियमित निगरानी की जाती है। पिछले तीन वर्ष के दौरान इरडाई ने ऐसे केवल 154 ऑनसाइट निरीक्षण किए हैं। निरीक्षण के पश्चात् बीमाकर्ता के साथ रिपोर्ट साझा की जाती है और अपेक्षित विनियामकीय कार्रवाई के लिए बीमाकर्ता के जवाब की जांच की जाती है।

इरडाई बीमाकर्ता द्वारा प्रस्तुत तथ्यों के आधार पर तथा मामलों के संबंध में अंतर्निहित गंभीरता को ध्यान में रखते हुए विनियामकीय कार्रवाई करता है, बीमाकर्ता को सलाह देता है, सुधारात्मक कार्रवाई करता है, सचेत करता है, चेतावनी जारी करता है, उन पर जुर्माना लगाता है, उन्हें निदेश देता है।

पिछले तीन वर्षों के दौरान इरडाई द्वारा की गई विनियामकीय कार्रवाई का ब्यौरा

क्रम सं.	विनियामकीय कार्रवाई का स्वरूप	अभ्युक्तियों की संख्या		
		2021-22	*2022-23*	*2023-24*
1	परामर्शी	261	322	577
2	निदेश	100	42	16
3	सचेत करना	139	142	260
4	चेतावनी	6	0	0
5	जुर्माना	18	0	3
कुल		**524**	**506**	**856**

यदि इरडाई को यह मानने का कारण हो कि बीमाकर्ता जीवन बीमा व्यवसाय को पॉलिसीधारकों के हितों के प्रति पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर कर रहा है, तो वह बीमाकर्ता को सुनवाई का अवसर देकर प्राधिकरण के निदेश तथा नियंत्रण के अंतर्गत बीमाकर्ता के कार्यों के प्रबंधन के लिए प्रशासक को नियुक्त करता है। इसके अलावा, इरडाई कंपनी के बीमा पोर्टपोलियो को दूसरे बीमाकर्ता को अंतरित कर सकता है ताकि पॉलिसीधारक को सेवाएं प्राप्त होना सुनिश्चित हो सके। विनियामक को पूंजी निवेश के लिए निदेश देने, आस्तियों को बेचने पर प्रतिबंध लगाने तथा पॉलिसीधारकों के हितों की रक्षा के लिए अन्य समुचित उपाय करने का भी अधिकार प्राप्त है।

इसके अलावा, फाइनेंशियल -स्टैबिलिटी बोर्ड (एफएसबी) तथा जी-20 का सदस्य होने के नाते भारत स्थानीय परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए चरणबद्ध रूप से सर्वोत्तम अंतर्राष्ट्रीय पद्धति को अपनाने के लिए प्रतिबद्ध है। इरडाई अंतर्राष्ट्रीय विनियामकीय निकायों जैसे इंटरनैशनल एसोसिएशन ऑफ इंश्योरेंस सुपरवाइजर्स (आईएआईएस) के निरंतर सहयोग से कार्य करता है तथा मानक निर्धारित करने के विचार-विमर्श तथा समकक्ष संस्थाओं की समीक्षाओं में भाग लेता है।

*****